इंटरनैशनल बैंक फौर रीकन्सट्रक्शन ऐंड डैवलपमैंट
इंटरनैशनल डैवलपमैंट असोसिएशन

निरीक्षण दल

1818, एच स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू
वौशिंगटन डी.सी. 20433
यू.एस.ए.

टैलिफोनः (202)458–5200
फैक्सः (202)522–0916
ईमेलः ipanel@worldbank.org

ऐल्फ मौर्टेन जर्व
अध्यक्ष

IPN REQUEST RQ 12/04

अगस्त 3, 2012

पंजीकरण नोटिस

निरीक्षण के लिए अनुरोध

भारतः विष्णुगाड़–पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना (आई.बी.आर.डी. लोन संख्या 8078–आईएन)

23 जुलाई 2012 को निरीक्षण दल के पास भारत की विष्णुगाड़ पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना (जिसे आगे 'परियोजना' कहा जाएगा) से संबंधित निरीक्षण के लिए एक अनुरोध (जिसे आगे 'अनुरोध' कहा जाएगा) प्राप्त हुआ।

यह अनुरोध उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले के कुछ निवासियों द्वारा भेजा गया है, जिनका कहना है कि वे अलकनंदा नदी के किनारे पर रहते हैं और *''उन पर विष्णुगाड़–पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना के प्रभाव पड़ेंगे''*। उनका यह भी कहना है कि *''हम नहीं चाहते कि हमारी नदी के बहाव को मोड़ा जाए या उसे किसी भी अन्य प्रकार से नियंत्रित किया जाए।''* एक अन्य अनुरोधक, उत्तराखंड राज्य के ही टिहरी ज़िले के डा. भरत झुनझुनवाला, का कहना है कि वे परियोजना निर्माण स्थल के निचले भाग में रहते हैं और इसके कारण उन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। चमोली गांव के निवासियों का अनुरोध है कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए।

निरीक्षण अनुरोध के साथ एक अन्य पत्र भी संलग्न है, जिसमें *''सुश्री. इसाबैल ग्वैरेरो, उपाध्यक्ष, दक्षिण एशिया विभाग, विश्व बैंक को संबोधित करते हुए, विष्णुगाड़–पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना के लिए टीएचडीसी भारत को दिए जाने वाले ऋण में संचालन नीतियों के उल्लंघन के विषय में लिखा गया है''* – यह पत्र अनुरोधकर्ताओं में से एक व कई अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित है, और इसके साथ 9 परिशिष्ट संलग्न हैं।

परियोजना

विष्णुगाड़–पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) गंगा नदी की उपनदी अलकनंदा पर प्रस्तावित एक 444 मेगावाट रन ऑफ द रिवर परियोजना है। परियोजना विकास उद्देश्य इस प्रकार हैंः *''(क) अक्षय व कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा पैदा करके भारत की राष्ट्रीय ग्रिड में बिजली की उपलब्धता बढ़ाना; और (ख) आर्थिक, पर्यावरणीय व सामाजिक रूप से सतत जल विद्युत*

परियोजनाओं को तैयार व लागू करने के संदर्भ में ऋण लेने वाले की संस्थागत क्षमताओं को सशक्त करना।'' [1]

वीपीएचईपी पर्यावरणीय श्रेणी 'ए' की परियोजना है, जिसे आईबीआरडी ऋण के अंतर्गत 64.8 करोड़ अमरीकी डॉलर का वित्त पोषण दिया जाएगा। ऋण लेने वाली संस्था है टिहरी हाइड्रो डेवलपमैंट कॉरपोरेशन (टीएचडीसी) लिमिटेड और भारत सरकार ने इसकी गारंटी दी है।

प्रोजेक्ट अप्रेज़ल डॉक्यूमैंट के अनुसार, *''वीपीएचईपी के प्रमुख निर्माण कार्य हैं: 65 मीटर ऊंचा एक बांध; भूमिगत विद्युत गृह; 3 कि.मी. टेल रेस सुरंग, जिसके माध्यम से पानी को वापस अलकनंदा नदी में डाल दिया जाएगा। प्रमुख निर्माण कार्य उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में, अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर किया जाएगा (राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के सामने की ओर)। उम्मीद है कि वीपीएचईपी के परिणामस्वरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 16 लाख टन प्रतिवर्ष की दर से कमी आएगी।''* [2]

निर्देशक बोर्ड ने इस ऋण को 30 जून 2011 को स्वीकृति दे दी और इसकी अवधि दिसंबर 31, 2017 में समाप्त होने की संभावना है। निरीक्षण दल के पास निरीक्षण का अनुरोध प्राप्त होने तक, ऋण का लगभग 0.25 प्रतिशत हिस्सा वितरित किया जा चुका था।

अनुरोध

अनुरोध[3] के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय मुद्दे और बैंक की संबंधित नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुपालन से जुड़े प्रश्न उठाए गए हैं। अनुरोधकर्ताओं द्वारा उठाए गए यह मुद्दे, नीचे संक्षिप्त में दिए जा रहे हैं।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे। अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि *''उन्मुक्त बहती नदी के आनंद को कभी मापा नहीं जा सकता''* और *''बांध उपयोगकर्ताओं''* ने इसका अनुमान लगाने की भी कोशिश नहीं की है। उनका कहना है कि नदी को सुरंग में डाल देने से उसका उन्मुक्त बहाव रुक जाता है और इससे उसके *''विलक्षण गुण''* छिन जाते हैं। अनुरोधकर्ता ज़ोर देते हैं कि स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई है और *''धार्मिक व सांस्कृतिक रीति रिवाज़ों, जैसे नदी नहाने का पर्व, अंतिम संस्कार, नदी की पूजा आदि के लिए नदी का पानी उपलब्ध नहीं है।''*

अनुरोध के साथ संलग्न पत्र में, हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है कि लाखों लोग गंगा नदी की *''एक जीती जागती देवी''* के रूप में पूजा करते हैं, जो इसके उन्मुक्त बहाव से *''सौंदर्य, गैर उपयोग संबंधी और अस्तित्व मूल्य''* प्राप्त करते हैं और इस परियोजना के कारण इन मूल्यों में कमी आ जाएगी। पत्र में गैर उपयोग मूल्य मापने की प्रक्रिया के विषय में विस्तार से लिखा गया है, जिसका उनके अनुसार, भारतीय योजना आयोग द्वारा 3 राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में उपयोग किया गया है।

पानी की कमी। अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि नदी के जिस हिस्से को भूमिगत सुरंग में डाला जाएगा, उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी। विशेषकर, मवेशी पालने वालों पर इसका गंभीर

---

[1] विष्णुगाड़–पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना के लिए, भारत गणतंत्र की गारंटी के आधार पर, टीएचडीसी भारत लिमिटेड को 64.8 करोड़ अमरीकी डॉलर के प्रस्तावित ऋण पर प्रौजैक्ट अप्रेज़ल डौक्यूमैंट (पीएडी), जून 10, 2011, पृष्ठ 8।

[2] पीएडी, पृष्ठ 8।

[3] चमोली निवासियों से प्राप्त अनुरोध हिंदी में है और अनुरोधकर्ताओं ने इसका अंग्रेज़ी अनुवाद उपलब्ध कराया है। डा. झुनझुनवाला का अनुरोध अंग्रेज़ी में है।

प्रभाव पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि नदी के *''पर्यावरणीय बहाव''* का आंकलन नहीं किया गया है। उनका दावा है कि परियोजना निर्माण कार्य के लिए की जा रही ब्लास्टिंग के कारण हाट गांव के 6 पानी के स्रोत सूख गए हैं और इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है।

पानी की गुणवत्ता। अनुरोध करने वालों का कहना है कि भूमिगत सुरंग में डाल दिए जाने और नदी के उन्मुक्त बहाव को रोक देने के कारण अलकनंदा नदी के पानी की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव होगा। वे कहते हैं कि जलाशय में एकत्रित होने वाली गाद का *''स्थानीय तापमान''* और *''जलीय जीव जंतुओं''* पर प्रभाव पड़ेगा और जलाशय से मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा तथा पानी स्थिर हो जाने के कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी आएगी।

जैवविविधता का नुक्सान। अनुरोध में जलीय जीव जंतुओं और चीड़ पक्षी, ऊदबिलाव, माहसीर मछली जैसी दुर्लभ प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नुक्सान पहुंचने के विषय में चिंता व्यक्त की गई है। उनका मानना है कि परियोजना के कारण इन सभी प्रजातियों के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ रहा है।

अन्य पर्यावरणीय हानि। अनुरोध करने वाले लोगों ने कहा है कि बांध निर्माण के कारण हो रहे जंगलों के हनन के कारण स्थानीय तापमान में वृद्धि हो रही है और भूमण्डलीय तापक्रम में भी बढ़ोतरी हो रही है, जलाशय से निकलने वाली मीथेन के कारण यह समस्या और बढ़ेगी। उनका कहना है कि पहाड़ों के खुदान के कारण उन्हें डर है कि क्षेत्र में भूस्खलन होगा। इसके अतिरिक्त, अनुरोधकर्ताओं का मानना है कि जलाशय के कारण *''धुंध और बीमारी''* फैलेगी और जलाशय के आसपास की भूमि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे।

आजीविकाओं पर प्रभाव। अनुरोधकर्ताओं का कहना है कि *''बांध के कारण लोगों को नदी से मिलने वाले लाभ कम हो जाएंगे'',* जैसे कि, वे नदी से रेत या मछली नहीं ला सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि स्थानीय फसलों पर जंगल कटान के कारण होने वाली तापमान वृद्धि का प्रभाव हो रहा है और परियोजना से उड़ने वाली धूल के कारण मवेशियों के चारे, कृषि और जंगलों पर भी प्रभाव पड़ेंगे।

स्वास्थ्य। अनुरोधकर्ताओं का दावा है कि जलाशय के कारण बीमारियां फैलेंगी। वे यह भी कहते हैं कि परियोजना निर्माण कार्य के लिए जो मज़दूर बाहर से आते हैं, वे बेहद गंदे वातावरण में रहते हैं जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं।

आर्थिक नुक्सान। अनुरोध में कहा गया है कि सुरंग के ऊपर बसे घरों और ज़मीनों में दरारें आ रही हैं और इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं की गई है। उन्हें डर है कि यदि क्षेत्र में भूकम्प आया तो यह घर गिर भी सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उच्च श्रेणी भूकम्प क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत है। अनुरोध में दलील दी गई है कि जहां शहरी क्षेत्रों के लाभ के लिए बिजली पैदा की जा रही है, वहां स्थानीय लोगों को केवल इसके नकारात्मक पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है।

जैंडर मुद्दे। अनुरोधकर्ताओं ने कहा है कि *''स्थानीय संस्कृति और औरतों की स्वतंत्रता''* पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और इसकी क्षतिपूर्ति करना मुश्किल होगा।

पारदर्शिता और लोक परामर्श का अभाव। अनुरोध का दावा है कि परियोजना के लिए आयोजित जन सुनवाइयाँ केवल एक *''दिखावा''* था और इनमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका कहना है कि जन सुनवाई में परियोजना के लिए विरोध प्रकट किया गया, परंतु इस पर *''कोई ध्यान नहीं दिया गया''*।

अध्ययनों का अभाव / अनुरोध में कहा गया है कि एक ही नदी पर कई बांध बनाने के कारण क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं परंतु इनका संचयी प्रभाव आंकलन नहीं किया गया है। अनुरोध के साथ संलग्न पत्र में दलील दी गई है कि बैंक ने परियोजना–रहित परिदृश्य का अध्ययन नहीं किया है और ना ही स्थानीय लोगों सहित, विभिन्न साझेदारों पर होने वाले परियोजना प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

अनुरोध का पंजीकरण

दल द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के बाद जांच के आधार पर सिद्ध हुआ कि अनुरोध पंजीकरण योग्य है।

अनुरोध कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा भेजा गया है और विश्व बैंक सहयोग प्राप्त परियोजना के संबंध में है, जिसके लिए 95 प्रतिशत वित्तपोषण वितरित नहीं किया गया है; अनुरोधकर्ताओं ने ज़ोर दिया है कि वे परियोजना गतिविधियों से प्रभावित हैं; अनुरोध में विभिन्न प्रकार की हानियों से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं, जो संभवतः परियोजना गतिविधियों के कारण और बैंक की कार्रवाई / चूक से हो सकती हैं; अनुरोध खरीद मुद्दों से संबंधित नहीं है और ऐसे मामले उठाता है, जिन पर दल ने पहले कोई संस्तुति नहीं दी है।

अनुरोधकर्ताओं ने कहा है कि उन्होंने यह सभी मुद्दे संबंधित विश्व बैंक अधिकारियों के समक्ष उठाए हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनुरोध के साथ कई हस्ताक्षरकर्ताओं, जिसमें एक अनुरोधकर्ता भी शामिल है, द्वारा विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के नाम लिखा एक पत्र संलग्न है। विश्व बैंक द्वारा इस पत्र के जवाब में *''विभिन्न चर्चाओं... जो पत्राचार के माध्यम से की गईं...तथा कई व्यक्तिगत बैठकों में...''* का ज़िक्र किया गया है।

अनुरोधकर्ताओं ने कहा है कि वे उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर चाहते हैं कि विश्व बैंक इस परियोजना के लिए वित्तपोषण न दे, और निरीक्षण दल से अनुरोध करते हैं कि वह *''इस ऋण की जांच करे''*। पत्र में, हस्ताक्षरतकर्ताओं ने प्रस्ताव रखा है कि परियोजना की रूपरेखा फिर से तैयार की जाए, जिसमें पूरी नदी को बांध से न रोकते हुए, कुछ पानी को खुला बहने दिया जाए।

दल ने पाया कि ऊपर दी गई दलीलों में, अन्य विषयों के साथ साथ, बैंक द्वारा संचालन नीतियों और प्रक्रियाओं के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन शामिल हैः

OP/BP 4.11	भौतिक सांस्कृतिक संसाधन
OP/BP 4.01	पर्यावरणीय आंकलन
OP/BP 4.04	प्राकृतिक आवास
OP/BP 4.36	वन
OP/BP 4.37	बांधों की सुरक्षा
OP/BP 10.04	निवेश सिद्धांतों का आर्थिक मूल्यांकन
OMS 2.20	परियोजना मूल्यांकन

इस नोटिस के ज़रिए, आपको सूचित किया जाता है कि अगस्त 3, 2012 जो इस नोटिस की भी तिथि है, को निरीक्षण दल अभिलेख में इस अनुरोध का पंजीकरण कर लिया गया है।

जैसा कि इस दल को स्थापित करने वाले आईबीआरडी प्रस्ताव के अनुच्छेद 18 में प्रस्तावित है, *''निरीक्षण दल के दूसरे पुनरीक्षण पर बोर्ड के निष्कर्षों''* के अनुच्छेद 2 और 8 (जिसे ''1999 के स्पष्टीकरण'' के नाम से जाना जाता है) के अंतर्गत, बैंक प्रबंधकारिणी द्वारा निरीक्षण दल को सितंबर 4, 2012 तक इस निरीक्षण अनुरोध में उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देना होगा। 1999 के स्पष्टीकरण के अनुच्छेद 3 और 4 में वे सभी मुद्दे दिए गए हैं, जिनका प्रबंधकारिणी द्वारा हल निकालना अनिवार्य है।

प्रबंधकारिणी का जवाब प्राप्त होने के बाद, निरीक्षण दल, जैसा कि 1999 के स्पष्टीकरण और प्रस्ताव के अनुच्छेद 19 में दिया गया है, *''तय करेगा कि अनुरोध (प्रस्ताव के) अनुच्छेद 12 और 14 में दिए गए मानदंडों के अनुसार पात्र है या नहीं और फिर कार्यकारी निदेशक को संस्तुति देगा कि इस मामले की जांच किस प्रकार की जाए।''*

इस अनुरोध से संबंधित सभी अनुरोधकर्ताओं से होने वाली बातचीत को डा. भरत झुनझुनवाला को भेजा जाएगा।

इस अनुरोध की पंजीकरण संख्या है RQ 12/04।

भवदीय,

ऐल्फ मौर्टेन जर्व
अध्यक्ष

डा. भरत झुनझुनवाला
लक्ष्मोली, पोस्ट मलेठा,
कीर्ति नगर, उत्तराखंड 249161, भारत।

श्री. जिम यौंग किम
राष्ट्रपति
इंटरनैशनल बैंक फौर रीकन्ट्रक्शन ऐंड डैवलपमैंट

सभी कार्यकारी निदेशक
इंटरनैशनल बैंक फौर रीकन्ट्रक्शन ऐंड डैवलपमैंट